

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड
जिला-बडवानी (म0प्र0)

आप0प्र0 क्रमांक 564 / 2016

आर.सी.टी.नं. 409 / 16

संस्थित दिनांक 23.09.2016

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बडवानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. दिलीप पिता तुकाराम भीलाला, आयु 38 वर्ष,
निवासी छोटी ठान थाना ठीकरी,जिला बडवानी म0प्र0 ।

-----अभियुक्त

राज्य तर्फे एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्तगण तर्फे अभिभाषक - श्री बी.के.सत्संगी ।

// निर्णय //

(आज दिनांक 28.04.2018 को घोषित)

अभियुक्त पर धारा 294,323,506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि,उसने दिनांक 19.09.2016 को समय 19:00 बजे,स्थान-पुराना टेलीफोन एक्सीचेंज के सामने छोटी ठान ठीकरी में फरियादी सुरेन्द्रसिंह वर्मा को मां बहन की अश्लील गालिया दी, फरियादी को सख्त एवं बोथरी वस्तु पत्थर से मार कर उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी दी ।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि,दिनांक 19.09.2016 को समय 19:00 बजे,स्थान-पुराना टेलीफोन एक्सीचेंज के सामने छोटी ठान ठीकरी हैण्डपंप के पास दिलीप पिता तुकाराम जो दूर का रिश्ते में लगता है, रोड पर मिला और उसे नंगी नंगी गालिया देने लगा उसने गाली देने से मना किया तो उसे एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार दिया जिससे उसके सिर में दाहिने तरफ आंख के उपर चोट लगी व उसके साथ मारपीट करी जिससे उसके दाहिने पांव के घुटने में चोट आई है और अभियुक्त बोल रहा था कि, आज तुझे जाने से खत्म कर दूंगा वहां

कोई नहीं था जैसे तैसे वह अभियुक्त से जान बचाकर भागकर घर आया बाद घटना उसके पिता मंशाराम को बतायी, उसके बाद उसके खेत साझेदार रमेश को लेकर थाना आया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध कं0 284 / 2016 का दर्ज कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये है, आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-2 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना व्यक्त किया है, किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

04. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि: —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.09.2016 समय 19:30 बजे, स्थान पुराना टेलीफोन एक्सीचेंज के सामने छोटी ठान ठीकरी में फरियादी सुरेन्द्रसिंह को लोक स्थान पर माँ बहन की अश्लील गॉलियां उच्चारित की, जिससे फरियादी एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुरेन्द्रसिंह को सख्त एवं बोथरी वस्तु पत्थर से मारकर स्वैच्छयापूर्वक साधारण उपहति कारि की?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुरेन्द्रसिंह को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

// विचारणीय प्रश्न कं0 2 //

05. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1), मंशाराम (अ.सा.2), डॉ0 महेश वर्मा (अ.सा.3), विनोद (अ.सा.4), के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्त की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

06. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या घटना दिनांक को फरियादी सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) को चोटे कारित हुई। इस संबंध में विचार करने पर फरियादी सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, उसके दाहिने आंख के उपर व दाहिने पैर के घुटने के पास चोटे आयी थी। साक्षी मंशाराम (अ.सा.2) जो कि, फरियादी का पिता है, ने भी सुरेन्द्रसिंह की चोटों को देखा है और उक्त साक्षी ने भी चोटों के संबंध में साक्षी सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन किया है।

07. साक्षी डॉ. महेश वर्मा (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि, वह दिनांक 19.09.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक मुकेश के द्वारा आहत सुरेन्द्रसिंह पिता मंशाराम को मेडिकल परीक्षण हेतु उनके समक्ष लाया गया था। उक्त साक्षी के द्वारा परीक्षण करने पर एक फटा हुआ घाव जिसका आकार 5 से.मी. x 5 सें. मी. x हड्डी की गहराई तक था, माथे पर सामने की ओर 5 से.मी. दाहिने आंख के उपर मौजूद थी, एब्रेजन खरोच जिसका आकार 5 से.मी. x 5 सें.मी. दाहिने घुटने पर मौजूद थी, उक्त चोटे सख्त एवं बोथरी वस्तु से 2 घंटे के भीतर आना प्रतीत होती है। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08. फरियादी सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) के द्वारा घटना के तत्काल पश्चात् लिखायी गयी रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिसे विनोद पाटिल (अ.सा.4) ने प्रमाणित किया है। उक्त रिपोर्ट में भी सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) को आयी हुयी चोटों का स्पष्ट उल्लेख है। साक्षी मंशाराम (अ.सा.2) एवं चिकित्स साक्षी डॉ. महेश वर्मा (अ.सा.3) के कथनों से भी फरियादी के कथनों का समर्थन स्पष्ट रूप से होता है। बचाव पक्ष के द्वारा चोटों के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अतः चोटों के संबंध में साक्ष्य अखंडनीय है। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, घटना के दिन सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) की दाहिनी आंख के उपर एक कटा हुआ घाव एवं दाहिने घुटने पर एक खरोच की चोटे आयी थी, जो साधारण स्वरूप की थी, व किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना पायी गयी थी।

09. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या उक्त चोटे अभियुक्त दिलीप के द्वारा फरियादी/आहत सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) को स्वैच्छया कारित की गयी। इस संबंध में विचार करने पर सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि, वह अभियुक्त दिलीप को जानता है। घटना लगभग 6-7 माह पूर्व के रात्रि के लगभग 8:00 बजे की है, वह अपनी दुकान से घर की ओर गुटखा लेने जा रहा था तभी रास्ते में उसे अभियुक्त दिलीप मिला था तथा उसने उसे नंगी नंगी गालियां दी थी। साक्षी ने अभियुक्त को गाली देने से मना किया तो उसने एक पत्थर उठाकर मार दिया था, जो साक्षी को सिर में सामने की ओर दाहिनी आंख के उपर लगा था, खून निकला था तथा दूसरा पत्थर दाहिने पैर में घुटने के पास मारा था,

जिससे पैर में चोट आयी थी। साक्षी ने घटना के पश्चात् 100 नंबर डायल किया था। घटना की बात साक्षी ने अपने पिताजी मंशाराम एवं खेत साझेदार रमेश को बतायी थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना ठीकरी में की थी, जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का ईलाज शासकीय अस्पताल में हुआ था, जहां पर दाहिनी आंख के उपर दो टॉके भी डॉक्टर ने लगाये थे।

10. साक्षी मंशाराम (अ.सा.2) ने फरियादी के कथनों का समर्थन किया है। यद्यपि उक्त साक्षी मंशाराम चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु घटना के तत्काल पश्चात् फरियादी सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) ने अपने पिता मंशाराम को घटना की बात बतायी थी, जो कि, रेस गेस्टाई सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष साक्ष्य की श्रेणी में आता है। यद्यपि साक्षी मंशाराम (अ.सा.2) फरियादी का पिता है। अतः हितबद्ध कहा जा सकता है किन्तु साक्षी के समग्र कथन पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि, वह पिता होने के कारण असत्य कथन कर रहा है।

11. बचाव पक्ष के द्वारा जो सुझाव साक्षी सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) के समक्ष रखे गये हैं। उससे यह भी स्पष्ट है कि, घटना के दिन अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य विवाद हुआ था। अतः घटना के समय अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लिखाये जाने का कोई कथन नहीं है एवं चोटों के स्वरूप को देखते हुये व स्वयं कारित भी नहीं हो सकती है। बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण से घटना का खंडन नहीं होता है। फरियादी स्वयं जिसे घटना में चोट आयी है। उनके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत सैयद विरुद्ध म.प्र. राज्य 2010(10) एस.सी.सी. 259 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, फरियादी/आहत गवाह की साक्ष्य पर विधि में विशेष स्तर होता है क्योंकि उस गवाह की घटना स्थल पर उपस्थिति की इनबिल्ट ग्यारंटी रहती है और वह गवाह असली अपराधी को बच निकलने देगा और किसी तृतीय पक्ष को असत्य रूप से फसायेगा, इसकी संभावना कम रहती है। इस कारण आहत गवाहों के कथनों पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि, अच्छे आधार की साक्ष्य निरस्त करने के अभिलेख पर न हो। इस प्रकार जब तक की फरियादी के कथन में कोई महत्वपूर्ण तथ्यों में विरोधाभास ना हो तब तक साक्षी के कथनों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

12. फरियादी सुरेन्द्रसिंह(अ.सा.1) के कथनों की सम्पृष्टि घटना के तत्काल पश्चात् लिखायी गयी रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं चिकित्सकीय साक्ष्य महेश वर्मा(अ.सा.3) के द्वारा मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 3 से स्पष्ट यप से होता है। जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी

सुरेन्द्रसिंह(अ.सा.1) के साथ मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की। अतः न्यायालय अभियुक्त को धारा 323 भा.द.सं. के तहत सिद्धदोष पा रहा है।

// विचारणीय प्रश्न कं0 1 //

13. सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि, वह अपनी दुकान से घर की ओर गुटखा लेने जा रहा था तभी रास्ते में उसे अभियुक्त दिलीप मिला था तथा उसने उसे नंगी नंगी गालियां दी थी। सुरेन्द्रसिंह के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी ने सुरेन्द्रसिंह(अ.सा.1) को गालियां देने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त नहीं किया है कि, उसे कौन-कौन सी गालियां दी थी, जिससे उसे क्षोभ कारित हुआ हो। मात्र गालियां देने के कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि, उसे जो गालियां दी गयी है, उससे उसको क्षोभ कारित हुआ हो। अगर तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि अश्लील गालियां सार्वजनिक स्थान के नजदीक उच्चारित की गई हों तो वह क्षणिक आवेश में उस शाब्दिक भाव के बिना प्रयोग होती है जो इन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है और यह अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गई है उसकी कोटि में नहीं आती क्योंकि धारा 294 में जो अश्लीलता की परिसंकल्पना की गई है, उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवनति की ओर ले जाये, उसमें कामुकता, यौन मनोवेग को पैदा करे। लेकिन अभियुक्त दिलीप द्वारा मात्र नंगी नंगी गालियां देने के कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि, उससे फरियादी सुरेन्द्रसिंह को क्षोभ कारित हो। इस बाबत न्यायालय के दृष्टिकोण को बल माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निम्न दृष्टांतों में अवधारित विधिक सिद्धांतों से प्राप्त होता है। सोबरन बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1967 जे एल जे शार्टनोट 135, विष्णु प्रसाद बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1971 जे एल जे शार्ट नोट 148 शारदा शर्मा बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2000 भाग-1 एम.पी. वीकली नोट कं. 78 तथा वंशी बनाम रामकृष्ण 1997 भाग-2 एम.पी.वीकली नोट 224। अतः ऐसी परिस्थिति में आरोपी के विरुद्ध लगे आरोप अंतर्गत धारा 294 भा.द.सं. का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न कं0 3 //

14. फरियादी साक्षी सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। सुरेन्द्रसिंह के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी ने सुरेन्द्रसिंह(अ.सा.1) को अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। धमकी इस तरह की होना चाहिए कि, जिससे आहत् को अभित्रास कारित हुआ हो अभिलेख पर ऐसी

कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि, आहत् को धमकी से अभित्रास कारित हुआ हो। उपरोक्त विश्लेषण से भा.द.सं. की धारा 506 का भाग दो का आरोप गठित होना दर्शित नहीं होता है। इस बिंदु पर माननीय मद्रास हाईकोर्ट के न्याय दृष्टांत नोबल मोहन दास विरुद्ध स्टेट 1989 सी.आर.एल.जे 669 अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि कोई उक्त धारा के तहत तभी दोषसिद्ध होता है जबकि दी गई धमकी वास्तविक हो। सिर्फ मौखिक धमकी दिये जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वास्तव में फरियादी को कोई अभित्रास कारित हुआ हो। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की कंडिका 8 में यह व्यक्त किया है कि

Further for being an offence under Sec. 506(2) which is rather an important offence punishable with imprisonment which may extend to seven years, the threat should be a real one and not just a mere word when the person uttering it does exact mean what he says and also when the person at whom threat is launched does not feel threatened actually. In fact P.W. 1 when she filed the complaint to the police officer, did not express any fear for her life nor asked for any protection. Therefore, the offence under S.506(2) is not made out.

15. अतः ऐसी परिस्थिति में आरोपी के विरुद्ध लगे आरोप अंतर्गत धारा 506 भाग-2 भा.द.सं. का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

16. उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्त दिलीप के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, अभियुक्त द्वारा दिनांक 19.09.2016 को समय 19:00 बजे, स्थान पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने छोटी ठान ठीकरी पर लोक स्थान पर माँ बहन की अश्लील गॉलियां देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ करित किया, एवं फरियादी सुरेन्द्रसिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, परन्तु अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सुरेन्द्रसिंह के साथ मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की।

17. अतः न्यायालय अभियुक्त को धारा 294 एवं 506 भाग-2 भा.द.सं. के अपराध में दोषमुक्त करता है, परन्तु धारा 323 भा.द.सं. के संबंध में दोषसिद्ध पाया जाता है। अतः धारा 323 भा.द.सं. के आरोप में अभियुक्त दिलीप को दोषसिद्ध व दंडित किया जा सकता है।

// 7 //

आप0प्र0 कमांक 564 / 2016

आर.सी.टी.नं. 409 / 16

संस्थित दिनांक 23.09.2016

18. दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये। अभियुक्त का परिविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

पुनश्च:-

19. अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्त नहीं है अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावे। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कि, अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त एवं फरियादी रिश्तेदार है अतः एक ही परिवार के व्यक्ति है, जेल की सजा देने पर निश्चित ही दोनों पक्षों के मध्य रंजिश बढ़ेगी। अभियुक्त कम उम्र का परिवार वाला व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को अर्थदंड देने से ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना संभव है। फलतः अभियुक्त को धारा 323 भा.द.सं. के अंतर्गत 1000/-रुपये के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताया जावे।

20. अभियुक्त जांच अथवा विचारण के दौरान निरोध में नहीं रहा है। इस संबंध में अभिरक्षा में रहने के संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

21. अभियुक्त के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है, जप्त सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -
(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

सही / -
(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.